

Articles
अनु०-५

U.K, जम्मु काशीर और लद्दाख
↓
विहार का विभाजन

अनु० २ और अनु० ३ के तहत किया गया परिवर्तन

अनुच्छेद ५ संविधान संशोधन का हिस्सा नहीं होगा।

अनुसूची - १ व - ५ प्रभावित होंगे।

⇒ विहार का विभाजन → झारखण्ड → संघ व राज्य → राज्य सभा के सिटों का विभाजन

⇒ U.P. का विभाजन → राज्य सभा का सीट

⇒ अनु० ३७० के प्रावधान समाप्त।

⇒ २९ ⇒ २८ ⇒ राज्य

⇒ ७ ⇒ ९ ⇒ ८ ⇒ ०७


भाग-2 - नागरिकता

Citizenship

अड-5-11.

नागरिकता :-

राज्य या देश में रह रहे लोगों को यदि समस्त संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वे, उस देश या राज्य के नागरिक होंगे।



अनु-5: आरम्भ में नागरिकता का प्रावधान


↳ 26 जन 1950 के बाद वे सभी भारत के नागरिक सामान्य तौर पर:
होंगे -

वर्ष के दौरान 180

दिन / 6 माह भारत में रहा हो।

- ① जो भारत में जन्मा हो। ✓
- ② - भारत शासन अधि० 1935 के तहत जन्मे लोगों की सु-तान ↳ अविभाजित भारत.
- ③ संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में सामान्य तौर पर निवास कर रहा हो।

अनु-6- पाक-भारत — पाकिस्तान से प्रवर्जन करने वाले लोग



↳ विभाजन के पश्चात, पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 तक भारत आगये तो वे भारत के नागरिक होंगे।

भारत सरकार का कानून

यदि इसके बाद भारत आते है, तो उन्हें नागरिकता ग्रहण करने के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना होगा।

✓ अनु० नं० :- भारत-पाक-भारत → भारत से पाकिस्तान को जाने वाले -



→ मार्च 1947 के बाद जो लोग स्थायी रूप से निवास करने के लिए भारत से पाकिस्तान चले गये, वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, यदि भारत आते हैं, तो अनु० 6 के तहत नागरिकता दिया जायेगा।

⇒ मिल मोहन
↳ भावा
↳ अमेरिका

⇒ सुन्दर पिचई
↳ अमेरिका

अक्षय कुमार

↓
कनाडा ⇒ दुलावास

↓ Reg. भारत

अलिया भट्ट

↓
ब्रिटेन ⇒ दुलावास
↓
Registrs

अनु० - 8 -

भारतवंशीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान -

भारत शासन अधि०. 1935 के तहत, जो 4 पिढी कोई एक पिढी भारत में निवास किया है, लेकिन अब उसका निवास स्थान विदेश में है, भारत कि नागरिकता ग्रहण करने के लिए उस देश में स्थित दुलावास के नागरिकता का पंजीकरण करना होगा।

अनु-१ - "नष्ट" नागरिकता का समाप्त होना :-

भारत कि नागरिकता - ३ प्रकार से समाप्त होती है।

१ - पर्यवसन → पारि + वसन → अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं। भारत कि नागरिकता समाप्त
↳ दुसरे ↳ निवास

२ :- परित्याग - होना - भारत की नागरिकता का परित्याग।

३ - वंचना के द्वारा :- नागरिकता से वंचित करना -

निम्न कारणों से भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकेगा—

- ① - देश या संविधान के विरुद्ध कार्य करने पर।
- ② - शत्रु देश के साथ व्यापार करने पर।
- ③ - युद्ध के दौरान शत्रु देश की मदद करने पर।
- ④ - नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के भीतर दो अपराध सिद्ध हो जाय।
- ⑤ - भारत सरकार को बिना सूचित किए 7 वर्ष तक बाहर हो।